संख्या-80/2015/2515/26-3-2015-5(358)/07टी.सी.।।।

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0।
2- निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0।
3- निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण उ0प्र0।
4- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ0प्र0।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 04 अगस्त, 2015

विषयः- शैक्षणिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत (ग्रुप 04 को छोड़कर) ग्रुप-01, 02 एवं 03के पाठ्यक्रमों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नवीनीकरण के आवेदन करने की समय-सारिणी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-879/26-3-2015-4(358)/07-टीसी।।।, दिनांक-25.03.2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2015-16 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समय-सारिणी निर्गत की गयी है।

2- दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की समीक्षा के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक-28.07.2015 को आहूत समीक्षा बैठक में यह स्थिति प्रकाश में आयी कि कतिपय विश्वविद्यालयों द्वारा अभी तक सभी पाठ्यक्रमों के परीक्षाफल घोषित नही किये गये है। अतएव उक्त योजनान्तर्गत (ग्रुप 04 को छोड़कर) ग्रुप-01, 02 एवं 03 के पाठ्यक्रमों में छात्रवृत्ति हेतु छात्रों को नवीनीकरण में आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों के दृष्टिगत रखते हुये उक्त पाठ्यक्रमों में सभी वर्गो के छात्र-छात्राओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक वर्ग) के लिये नवीनीकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा दिनांक-31.07.2015 से बढ़ाकर दिनांक-30.09.2015 तक किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त से अवगत होते हुये संशोधित समय-सारिणी के अनुसार शैक्षिक सत्र 2015-16 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ0सं0 80/2015/2515/26-3-2015 तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/वित्त/नियोजन/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग।

3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0।

4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- गार्ड फाईल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।